मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 (पौष 2, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले में संचालित नल-जल योजना बंद होने की ओर राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **सर्वश्री देवेन्द्र सिंह पटेल, रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले में हितग्राहियों को पेंशन न मिलने की ओर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **इन्जी. प्रदीप लारिया**, सदस्य, सागर जिले की कड़ान परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री विनय सक्सेना**, सदस्य, जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य से मार्ग बाधित होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति.

श्री विजयपाल सिंह, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री संजय यादव**, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम चरगवां से तला तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल**, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पंचायत खिरेटी में प्रधानमंत्री सड़क योजना से नूरजहांगंज तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री पी.सी. शर्मा**, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत ग्राम चिन्नौद में नवीन न्यायालय भवन निर्माण के कारण बन्द किये गये मार्ग को खुलवाये जाने,

(4) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक**, सदस्य, कटनी जिले के बरही नगर को विकासखण्ड का दर्जा दिलाये जाने,

(5) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले के सुनवाहा उपस्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,

(6) **कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिड़ौसा)**, सदस्य, मुरैना जिले के सांगौली मार्ग से लेपा व्हाया भिड़ौसा, माडेनकापुरा (पटेलकापुरा) तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूर्ण कराये जाने,

(7) **श्री हर्ष यादव**, सदस्य, सागर जिले के देवरी अंतर्गत महाराजपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(8) **श्री बहादुर सिंह चौहान**, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सगवाली में नवीन हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(9) **श्री सोहनलाल बाल्मीक**, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम तिघरा से पटपड़ा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी**, सदस्य, दमोह जिले की ग्राम पंचायत नोहटा को नगर परिषद का दर्जा दिलाये जाने,

(11) **डॉ. सतीश सिकरवार**, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड-56 के शंकर चौक मुड़िया पहाड़ नाका चन्द्रवदनी पर पानी की टंकी की मरम्मत कराये जाने,

(12) **श्री ग्यारसीलाल रावत**, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम खुरमाबाद से ताजुद्दीन बाबा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू**, सदस्य, नीमच जिले के मनासा कुकड़ेश्वर रोड से कंजार्डा तक सड़क स्वीकृत किये जाने,

(14) **श्री शैलेन्द्र जैन**, सदस्य, सागर जिले के संत रविदास वार्ड झुग्गी झोपड़ी बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री जालम सिंह पटेल**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हीरापुर में हाई स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने,

(16) **श्री प्रहलाद लोधी**, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बोरी-महेबा के बीच स्थित शराब की दुकान को हटाये जाने,

(17) **श्रीमती सुलोचना रावत**, सदस्य, अलीराजपुर जिले के भाण्डाखापर से अखोली होते हुए बोरझाड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री प्रणय प्रभात पांडे**, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कुआँ में 11 के.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने,

(19) **श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय**, सदस्य, दमोह जिले के हिण्डोरिया नगर में नवीन रेस्ट हाऊस बनाये जाने,

(20) **इंजी. प्रदीप लारिया**, सदस्य, सागर जिले के मकरोनिया अंतर्गत 18 वार्डों में पाइप लाईन डालने एवं उनकी मरम्मत कार्य कराये जाने,

(21) **श्री मनोज चावला**, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम जमुनिया शंकर से बोरबर्डा-बामनखेड़ी मार्ग स्थित माताजी खाल पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा**, सदस्य, मुरैना शहर के एम.एस. रोड कैलारस से पहाड़गढ़ होते हुए सहसराम रोड का निर्माण कराये जाने,

(23) **श्री सुनील सराफ**, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम सकोला से बगैहा एवं जोगीटोला तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री उमाकांत शर्मा**, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम गरेठा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(25) **श्री राज्यवर्धन सिंह**, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम मवासा स्थित सूकड़ नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री रामचन्द्र दांगी**, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंतर्गत ग्राम तरैना से ग्राम भूकनी रतनपुरिया तक रोड निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री विक्रम सिंह राणा**, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम छोटी सोयत के पास राडी के बालाजी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री दिलीप सिंह परिहार**, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम कराडिया मार्ग से ग्वालदेविया तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री हर्ष विजय गेहलोत**, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम रावटी में पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास स्वीकृत कराये जाने,

(30) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय**, सदस्य, रतलाम जिले के पिपलौदा स्थित शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(31) **श्री राहुल सिंह लोधी**, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कुड़ीला में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री राकेश गिरि**, सदस्य, टीकमगढ़-सागर मार्ग से बानपुर मार्ग तक बायपास रोड निर्माण कराये जाने,

(33) **श्री देवेन्द्र वर्मा**, सदस्य, खण्डवा जिले के दादाजी मंदिर के ट्रस्ट को भंग कर मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(34) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी**, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम नवलपुरा फाटे से ग्राम जेनुद तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(35) **श्री सुरेश राजे**, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा विधान सभा क्षेत्र को जिला बनाये जाने,

(36) **श्री तरबर सिंह**, सदस्य, सागर जिले के ग्राम लरेठी से अब्दापुर, ग्राम तारौली एवं बरा से रामनगर टपरियां तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(37) **श्री देवीलाल धाकड़**, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम एरी से हतई तक नवीन मार्ग स्वीकृत कराये जाने,

(38) **श्री दिलीप सिंह गुर्जर**, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा-खाचरोद मुख्य मार्ग का डामरीकरण व चौड़ीकरण कराये जाने,

(39) **डॉ. सीतासरन शर्मा**, सदस्य, होशंगाबाद जिले के मिनाक्षी चौक से रसूलिया रेल्वे फाटक तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने,

(40) **श्री राकेश मावई**, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बड़वारी के तालाब की मोरी से शमशान तक नाले का निर्माण कराये जाने,

(41) **श्री प्रताप ग्रेवाल**, सदस्य, धार जिले के ग्राम पंचायत कोठड़ाकला में दोमलिया नाले को स्लेब से कवर्ड कर निर्माण कराये जाने,

(42) **श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी**, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम लिमवाड़ी में पुलिया निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान .... (चर्चा का पुनर्ग्रहण).

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार, इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, उनचास हजार, छह सौ पैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

2 घण्टे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री**, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) **डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) पर विचार किया जाय. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) पर विचार किया जाय. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) पर विचार किया जाय. **15 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) पर विचार किया जाय. **15 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) **डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021) पर विचार किया जाय. **1 घण्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) **श्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री**, प्रस्ताव करेंगे कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 22 दिसम्बर, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.